15/7/17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय
आपके द्वार के मेगा कैम्प सेड़वा में पेश हुई।
प्रार्थी मय वकील उपस्थित। चूंकि मूलवाद जरिये
राजीनामा डिग्री किया जा चुका है। अब इस
आवेदन में अग्रिम कार्यवाही का कोई औचित्य
नहीं रहा। अतः इस में आगामी कार्यवाही
इसी स्तर पर समाप्त कर न्यायालय
द्वारा जारी स्थगन आदेश दि. 20.12.07 को
निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। इत्तला
तामील हो।

सहायक कलक्टर
चौहटन

R.T.

I.d

Adv.